ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, 177401
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH- HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत ताल, में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति सवी	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में अंतर का समाधान न करना	0.16

2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	18.92
3	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष	0.29
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.01
5	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	7.79
6	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.36
7	9.1	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.10
8	9.2	मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत बिना मूल्यांकन के मस्ट्रोलों का भुगतान करना	3.99
9	9.3 व 9.4	मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में सामग्री व मजदूरी हेतु अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.03
10	9.5	पंचायत पदाधिकारियों को अनुचित भुगतान करना	0.05
11	9.6	बिना बिलों के भुगतान करना	0.57

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जो कि चिंताजनक है। अत: ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	ऑडिट फीस ₹7200/- पेज़ संख्या 32, पर प्राप्ति उपरांत

2	4	निर्णीत	कोई भी आपत्ति न पाई जाने के उपरांत
3	4 (i)	अनिर्णीत	
4	5(i)(iii) 5(ii)	अनिर्णीत निर्णीत	सम्बन्धित अभिलेखों के जाच उपरांत
5	6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुन: प्रारूपित।
6	7	अनिर्णीत	
7	8	निर्णीत	सम्बन्धित अभिलेखों की जाच उपरांत
8	9	अनिर्णीत	
9	10	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
10	11	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07.08.2025 से 13.08.2025 तक ग्राम पंचायत ताल, के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 188/2025 दिनांक 12/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा पंजाब नेशनल बैंक ताल, हमीरपुर के **DD NO – XAA 619598 दिनांक 12.08.2025,** द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत ताल, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08.08.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है । ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (4) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्व: स्त्रोत व अनुदान, 15वें वित्तायोग, स्वच्छ भारत मिशन (पीएफ़एमएस) व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्व: स्त्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्व: स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1186583.17	2458378.00	3644961.17	1753403.20	**1891557.97**

(ख) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1637654.68	1744662.00	3382316.68	1394137.00	**1988179.68**

(ग) **संकलित वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्वः स्त्रोत व अनुदान	2024-25	1186583.17	2458378.00	3644961.17	1753403.20	**1891557.97**
15वां वित्तायोग शीर्ष	2024-25	1637654.68	1744662.00	3382316.68	1394137.00	**1988179.68**
मनरेगा	2024-25	0.00	3500655.60	3500655.60	3500655.60	**0.00**
स्वच्छ भारत मिशन (पी एफ एम एस)	2024-25	0.00	144298.00	144298.00	144298.00	**0.00**
संकलित वित्तीय स्थिति	**2024-25**	**2824237.85**	**7847993.60**	**10672231.45**	**6792493.80**	**3879737.65**

(2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100500946	259556.96
2	स्वः स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100502935	5515.00
3	स्वः स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100509691	1562184.78
4	स्वः स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100543075	34324.14
5	स्वः स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100543109	10456.89
6	स्वः स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100543084	3268.00
7	15वें वित्तायोग	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100555937	1988179.68
कुल योग				**3863485.45**

(3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष			
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष		**3879737.65**
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3863485.45	3864135.45
3	**दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि**	**650.00**	
अन्तर			**15602.20**

दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1891557.97
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1988179.68
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	3879737.65
4	**दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (घटाव)**	**15602.20**
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष	3864135.45
6	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष (हस्तगत सहित)	3864135.45
अंतर		**0.00**

नोटः- 15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है तथा इससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में 0.16 लाख के अंतर का समाधान न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को सलंग्न **परिशिष्ट-1.3** अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में **राशि ₹15602.20** का अंतर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जोकि पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनांक 12/08/2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की असमर्थित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से कर अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(5) स्वः स्त्रोत निधि के लिए अलग से खाते का संचालन न करनाः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के (स्वः स्त्रोत के लेन-देन हेतु) स्वः स्त्रोत खाता (क) खोला जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्वः स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते में कार्यालय व्यय व पंचायत के पदाधिकारियों के वेतन राशि के लेन-देन की प्रविष्टियाँ भी होने के कारण यह पूर्ण रूप से स्वः स्त्रोत निधि (क) को नहीं दर्शाती है, जिसके संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनांक 12/08/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को स्वः स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते को अलग से संधारित न करने बारे अवगत करवाया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि स्वः स्त्रोत (क) की रोकड़ बही को पूर्ण रूप से अलग करके संधारित कर लिया जाएगा।

अतः विभिन्न अनुदानों के सम्मिलित होने के कारण पंचायत की स्वः स्त्रोत (क) की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका तथा भविष्य में स्वः स्त्रोत की रोकड़ बही व बैंक खाते में केवल स्वः स्त्रोत निधि की आय व व्यय (अनुदानों के अतिरिक्त) का लेन देन करना ही ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त स्वः-स्रोत व् अनुदान के लिए 6 खाते खोले जाने का भी तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें तथा अतिरिक्त सचिव पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र सं0 पी०सी०एच०-एच०ए० (5)C(15)-13 (L)-5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 की अनुपालना करना सुनिश्चित करें।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्वः स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** है।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वःस्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वःस्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹18.92 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान व स्वः स्रोत में प्राप्त राशियों में से राशि **₹1891557.97** उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा पूर्व निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के तथ्यपूर्ण कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है" |

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यों तथा आंकड़ों सहित नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है"। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए। फलस्वरूप उक्त नियम व निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न हो सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है । यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में तथ्यों एवं आंकड़ों युक्त सारणी रूप में वस्तुस्थिति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है ।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.29 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी" ।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन व अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत की गृहकर/सम्पत्ति कर **राशि ₹29100.00** वसूली हेतु शेष थी।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि०

प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹1200**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-3** में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिए आश्वासन को दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि के जमा व इन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 दुकानों के किराये की वसूली हेतुः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट) नियमावली 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादये (Outstanding) नहीं रखी जाएगी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 12/08/2025 के प्रतिउतर में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेखों की जांच उपरांत पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 को दुकान के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष नहीं थी।

अतः भविष्य में भी दुकानों के किराये की नियमित प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹7.79 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग

के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही उन्हें भुगतान किया जाएगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के समर्थन में उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट-5** अनुसार **राशि ₹778639.31** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनाँक 12.08.2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई सामाग्री के ट्रांज़िट फॉर्म लिए गए है परंतु ट्रांज़िट फार्म पर सामग्री की मात्रा, ढुलान की दिनांक, बिलों व स्टॉक रजिस्टर के साथ मिलान न होने कारण अंकेक्षण आपत्ति उपरांत सभी ट्रांज़िट फॉर्म को लेकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.36 लाख का अधिक भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि. प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय करके इसे अगले माह की 10 तारीख तक सम्बन्धित विभाग के निर्धारित खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट - 6** अनुसार राशि ₹1819888.00 (जी.एस.टी. को छोडकर) का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में **राशि ₹36397.76** की कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनाँक 12.08.2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नही की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 पत्थरों की खरीद पर रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अध्याय -2 में उल्लेखित वर्क्स स्पेसिफिकेशन पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-7** राशि ₹76116.00 का कुल भुगतान किया गया था , लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण **राशि ₹9514.50** का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनाँक 12.08.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर

(stone) की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख की नियमानुसार सक्षम तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच एवं सत्यापना उपरान्त ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

9.2 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत मस्ट्रोलों के मूल्यांकन के बिना राशि ₹3.99 लाख का गलत भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **106** के अनुसार अंतिम भुगतान से पूर्व अंतिम निर्धारण और समापन रिपोर्ट प्रेषित करना तथा नियम **101(2)(i)** के अनुसार कार्य के पूर्ण होने के पंद्रह दिनों के भीतर उनकी पैमाइश की जानी अपेक्षित है तथा प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या (SMS-17/2002-RDD (GRS) दिनांक 22.09.2009 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 05/2024 के दौरान मनरेगा शीर्ष के मस्ट्रोलों की जांच में निम्न विवरणानुसार विभिन्न आपत्तियों के बावजुद भुगतान किया पाया गया:-

1. **कार्य - फ्रूट प्लांटेशन पब्लिक सैक्टर दिओट** के लिए मजदूरी के रूप में कुल **राशि ₹393854.00** का भुगतान किया गया था जबकि मस्ट्रोलों की जांच में पाया गया कि भुगतान किए गए सभी मस्ट्रोलों को न तो तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा मूल्यांकन किया गया था, न ही मस्ट्रोलों को प्रधान व सतर्कता कमेटी के द्वारा सत्यापित किया गया था और न ही मस्ट्रोलों पर पे-ऑर्डर लगाए गए थे। अंकेक्षणार्थ माप पुस्तिका की मांग करने पर ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त कार्य के सभी मस्ट्रोलों को बागवानी विभाग के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, बागवानी विभाग से बातचीत व जांच करने पर पाया गया कि न तो मस्ट्रोलों का मूल्यांकन माप पुस्तिकाओं पर किया गया था और न ही वागवानी विभाग के पास मूल्यांकन के लिए तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (टेक्निकल विंग) था। सभी मस्ट्रोलों की ई-एम बी (ई-माप पुस्तिका) ऑनलाइन जांच करने पर पाया गया कि सभी माप पुस्तिकाओं के नंबर व पृष्ठ सख्या वास्तविक मस्ट्रोलों की माप पुस्तिका नंबर व पृष्ठ सख्या से भिन्न थे, और सभी माप पुस्तिकाओं के नंबर व पृष्ठ संख्या (जाली) (fake) एक रजिस्टर के नंबर थे जिसे **नर्सरी दिओट** के बागवानी विस्तार अधिकारी/प्रभारी के द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी मस्ट्रोलों का व्योरा रखा जाता था।
2. **निर्माण कार्य - एम्ब्युलेन्स रोड पीर बाबा से कऊ शैड, यशपाल सिंह ग्राम दिओट** के लिए मस्ट्रोल संख्या 7045 दिनांक 02.01.2025 को कुशल मजदूरी हेतु जारी किया गया परंतु मस्ट्रोल में न तो कुशल मजदूर (मिस्त्री) का विवरण था, न ही मस्ट्रोल को सतर्कता कमेटी के द्वारा सत्यापित किया गया था और न ही मस्ट्रोलों

पर पे-ऑर्डर लगाए गए थे। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत व विभिन अनियमितताओं का पता होने के वावजूद भी उक्त भुगतान किया गया जोकि संदिग्ध भुगतान प्रतीत होता है।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या	भुगतान की गई राशि (₹)
1	फ्रूट प्लांटेशन पब्लिक सैक्टर दिओट, ग्राम पंचायत ताल	252, 516, 794,1067,1365,1867, 2183, 2545, 3206, 3535, 3790, 4086, 4359, 4758, 5220, 5415, 5994, 6425, 7040, 7465, 7864, 8263, 8587	**3,93,854.00**
2	एम्ब्युलेन्स रोड पीर बाबा से कऊ शैड, यशपाल सिंह ग्राम दिओट	7045	**5544.00**
कुल योग			**399398.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनाँक 12.08.25 द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया जिसके प्रतिउतर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित तकनीकी मूल्यांकन के बिना किये गये **राशि ₹399398.00** के गलत भुगतान की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अनियमितताओं के वावजूद भी भुगतान करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत उक्त राशि की वसूली व जमा सम्बन्धी अभिलेख से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आगामी सम्बन्धित उच्च तकनीकी अधिकारियों के नमूना जांच एवं सत्यापन सहित अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच सम्बन्धित विभाग अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करे तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवायें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

9.3 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.02 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय /अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उतरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 05/2024 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण पर पाया गया कि वाउचर/बिल संख्या-83777, दिनांक 25.04.2023 को निर्माण कार्य-संपर्क मार्ग मेनरोड देश राज के घर से रमेल सिंह के घर की ओर गाँव अमनेड हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के रूप में निम्नानुसार **राशि ₹2088.85** का अधिक भुगतान किया गया था।

निर्माण कार्य-संपर्क मार्ग मेन रोड देश राज के घर से रमेल सिंह के घर की ओर गाँव अमनेड।				
निधि का नाम - मनरेगा।				
स्वीकृत राशि - 300000/-				
कुल खर्च राशि - 130000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**माप पुस्तिका में दर्शाई गई मात्रा (धन मीटर)**	**रूपांतरण कारक**	**सीमेंट (बैग)**
MB-58	1:2:4	14.71	6.40	94.14
कुल योग				94.14
बिल संख्या-83777 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				100
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				5.86
क्रय दर				356.46
अधिक भुगतान राशि				2088.85
कुल अधिक भुगतान				**2089/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनाँक 12.08.25 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अनियमित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना

सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नियमानुसार नमूना जांच एवं सत्यापन सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.4 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत मस्ट्रोल में मजदूरी के रूप में राशि ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय /अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उतरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 05/2024 के मस्ट्रोलों की जांच में पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 253 दिनांक 03.04.2024 को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से **निर्माण कार्य कऊ शैड अशोक कुमार गाँव अमनेड** हेतु ग्राम पंचायत को जारी किया गया था परंतु ग्राम द्वारा उक्त मस्ट्रोल में दिनांक 03.04.2024 को मजदूरों की उपस्थिती दिखाकर राशि ₹9600/- के विपरीत राशि ₹10400/- का भुगतान किया गया था। इस प्रकार की **राशि ₹800/-** भुगतान (10400-9600) नियमों के विपरीत किया गया प्रतीत होता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनाँक 12.08.25 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.5 पंचायत पदाधिकारियों को राशि ₹0.05 का अनुचित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 62(2) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा ग्राम पंचायत के सदस्य को यदि वह ग्राम पंचायत की बैठक से प्रवरित/अनुपस्थित रहता है, बैठक की फीस नहीं दी जाएगी"।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान व्यय वाउचरों की जांच व कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्यों को माह में दो बार होने वाली बैठक हेतु अनुपस्थिति के होते हुये भी नियमों के विपरीत **राशि ₹5250.00** का भुगतान किया गया था।

अनियमित भुगतान का यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनाँक 12.08.25 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में वार्ड सदस्यों की अनुपस्थिति में भुगतान नहीं किया जाएगा।

क्रम संख्या	वार्ड सदस्य का नाम	कार्रवाई रजिस्टर के अनुसार बैठक की दिनांक	कार्रवाई रजिस्टर पृष्ट संख्या	कुल अनुपस्थित दिनों की संख्या	प्रति बैठक भुगतान दर (₹)	राशि (₹)
1	श्रीमतिअनीता कुमारी	08.04.2024	74	01	750/-	750.00
2	श्री कमल कुमार	08.04.2024	74	01	750/-	750.00
3	श्रीमति शवनम	08.04.2024	74	01	750/-	750.00
4	श्रीमति नीना ठाकुर	08.04.2024	74	01	750/-	750.00
5	श्रीमति रीना कुमारी	08.04.2024	74	01	750/-	750.00
6	श्रीमति लता कुमारी	08.04.2024	74	01	750/-	750.00
7	श्रीमति प्रोमिला देवी	08.04.2024	74	01	750/-	750.00
कुल योग						**5250.00**

अतः ग्राम पंचायत द्वारा पदाधिकारियों को माह की बैठकों की अनुपस्थिति के लिए किए गए भुगतान का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा प्रश्नात्मक राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

9.6 बिना बिलों के राशि ₹0.57 लाख भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47, 48 और 61 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी आपूर्ति के भुगतान की मांग बिलों पर ही पेश की जानी निर्धारित है तथा लेखों का सही वर्गीकरण पूरी और सही विशिष्टियाँ बताने वाले वाउचर द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है"।

अवधि 04/24 से 03/25 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व:स्त्रोत व अनुदान शीर्ष के अंतर्गत **राशि ₹56675.00** का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा ढुलाई के रूप में किया गया था, लेकिन व्यय वाउचरों के संदर्भ में न तो आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त किये गए थे, न ही भुगतान प्राप्ति की रसीद ली गई थी, उक्त राशि के सभी बिलों को कोरे कागज पर बनाकर ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया गया था जिससे यह अनियमित भुगतान प्रतीत होता है।

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2025 दिनाँक 12.08.25 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउतर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित बिना बिलों के भुगतान के बिलों को लेकर अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः बिना बिलों के आपूर्तिकर्ता को अदायगी करने का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का संधारण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**प्रारूप संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2025 दिनांक 08/08/2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी ताल 10 दिनांक 13.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं

करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

2 5 NOV 2025

का0/डाल

(पूजा शर्मा)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

7244 to 7248

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)32/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0–177026 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(पूजा शर्मा)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/डाल

ANNAXURE

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या "4" में संदर्भित						
ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	**2024-25**	**2824237.85**	**7847993.60**	**10672231.45**	**6792493.80**	**3879737.65**

सचिव
ग्राम पंचायत ताल
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

Repoint

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177401						
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1. स्वयं स्त्रोत व अनुदान,15वां वित्तायोग सहित (समेकित) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2824237.85	4203040.00	7027277.85	3147540.20	**3879737.65**

1(i) स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग रहित)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1186583.17	2458378.00	3644961.17	1753403.20	**1891557.97**

1 (ii) 15वां वित्तायोग ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1637654.68	1744662.00	3382316.68	1394137.00	**1988179.68**

2. मनरेगा ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0.00	3500655.60	3500655.60	3500655.60	**0.00**

3. स्वच्छ भारत मिशन (पी एफ एम एस) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0.00	144298.00	144298.00	144298.00	**0.00**

सचिव
ग्राम पंचायत TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में सदर्भित

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100500946	259556.96
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100502935	5515.00
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100509691	1562184.78
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100543075	34324.14
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100543109	10456.89
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100543084	3268.00
7	15 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक ताल	2056000100555937	1988179.68
कुल योग				**3863485.45**

सचिव
ग्राम पंचायत TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

(२५)

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,

दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष

1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष		**3879737.65**
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3863485.45	3864135.45
3	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि	650.00	
	अन्तर		**15602.20**

दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी

1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1891557.97
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1988179.68
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	3879737.65
4	**दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (घटाव)**	**15602.20**
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष	3864135.45
6	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष हस्तगत सहित	3864135.45
	अंतर	**0.00**

सचिव
ग्राम पंचायत ताल
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

25

25

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत ताल, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर							
(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	36750.00	943	50	47150.00	83900.00	54800.00	**29100.00**

सचिव
ग्राम पंचायत TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत ताल, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2024 से 31.03.2025)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	कमल सिंह वर्मा पुत्र अमर सिंह	09.07.2022	20.05.2024	664556	400	400	0
2	विजय कुमार पुत्र लेहर सिंह	22.04.1996	23.07.2024	664888	400	400	0
3	अमन जमित सिंह पुत्र जमित सिंह	02.03.2024	09.10.2024	664889	400	400	0
कुल योग					**1200**	**1200**	**0**

सचिव
ग्राम पंचायत TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 7.3 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत ताल, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर							
दूकानों के किराया वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)							
Mr.Kahro devi:-							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2024-25	1800	12 x 300	3600	5400	5400	0
Total							0

सचिव
ग्राम पंचायत TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ताल, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करना (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामान	मात्रा	राशि (₹)
1	MNREGA	C/O KHURLI IN LAND OF KALPNA DEVI W/O RAKESH KUMAR VILL AMNED(1303002075/IF/8000084007)	72	Archana Kumari, vill deot, po taal, hamirpur	AGG.	60	4260.00
					sand	60	
2	MNREGA	C/O R/WALL NEAR THE HOUSE VINOD KUMAR S/O JAISI RAM VILL DIOT(1303002075/IF/8000155164)	35	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	180	15300.00
					sand	150	
3	MNREGA	C/o R/Wall near the house of Lal Chand S/o Narpat Ram Vill Amned(1303002075/IF/8000186303)	223	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	180	10900.00
					sand	150	
4	MNREGA	C/o R/Wall near the house of Sukhdev S/o Sher Singh Vill Amned(1303002075/IF/8000186327)	225	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	180	15300.00
					sand	150	
5	MNREGA	C/o R/Wall near the house of Raj Kumar S/o Annant Ram Vill Diot(1303002075/IF/8000186336)	36	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	180	15300.00
					sand	150	
6	MNREGA	C/o R/wall near the house of Parveen Kumar S/o Gurmel Singh Vill Amned(1303002075/IF/8000214699)	233	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	180	15300.00
					sand	150	
7	MNREGA	C/o R/wall near the house of Suresh Kumar S/o Thakur Dass Vill Amned(1303002075/IF/8000214762)	93	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	250	15997.50
					sand	152	
8	MNREGA	C/o R/wall near the house of AjayKumar S/o Kishan Chand Vill Amned(1303002075/IF/8000217262)	260	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	180	15300.00
					sand	150	
9	MNREGA	C/o R/wall near the house of Kishan Chand S/o Chint Ram Vill Balu(1303002075/IF/8000217268)	261	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	180	15300.00
					sand	150	
10	MNREGA	C/o Khurli in the land of Sohan Lal S/o Laxman Dass Vill Rahjol(1303002075/IF/8000222286)	29	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	60	5580.00
					sand	60	
11	MNREGA	C/o R/wall near the house of Kanta Devi W/o Milkhi Ram Vill Diot(1303002075/IF/8000222294)	34	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	180	15300.00
					sand	150	
12	MNREGA	C/o R/Wall near the house of Ramesh Chand s/o Ami Chand Vill Dharnashi(1303002075/IF/8000234609)	39	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	180	15300.00
					sand	150	
13	MNREGA	C/o R/Wall near the house of Kamal Kumar S/o Shali Gram Vill Dharnashi(1303002075/IF/8000278324)	95	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	250	16126.21
					sand	155	
14	MNREGA	C/o R/Wall near the house of Parkash Chand S/o Prem Singh Vill Rahjol(1303002075/IF/8000281459)	53	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	200	16160.00
					sand	200	
15	MNREGA	C/o Khurli near the cow shed Jagdish Chand S/o Shankar Dass vill Dharnashi(1303002075/IF/8000281870)	96	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	60	5022.00
					sand	60	
16	MNREGA	C/o R/Wall near the house of Kehar Singh S/o Ganga Ram Vill Amned(1303002075/IF/8000281876)	54	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	200	16160.00
					sand	200	
17	MNREGA	C/o R/Wall near the house of Ashok Kumar S/o Chhaju Ram Vill Rahjol(1303002075/IF/8000295078)	92	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	250	15991.60
					sand	150	
18	MNREGA	C/o Khurli near shelter Beer Chand S/o Dharam Chand vill Diot(1303002075/IF/8000328389)	97	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	60	5022.00
					sand	60	
19	MNREGA	C/O LINK ROAD LAL CHAND DHIMAN KA GHAR SA FROM PATTA NALA VILL AMNED(1303002075/RC/8000175042)	235	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	1100	49500.00
					sand	600	28800.00
					Stone	400	15120.00
20	MNREGA	C/o Path & R/wall Prittam Chand House to Kewal Krishan House Vill Amned(1303002075/RC/8000192781)	256	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	680	30600.00
					sand	350	16800.00
					Stone	240	9072.00
21	MNREGA	C/o Ambulance] Road Peer Baba towards Cow Shed Yashpal Singh Vill Diot .(1303002075/RC/8000198459)	101	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	1180	42598.00
					sand	680	26559.00
					Stone	800	25120.00
22	MNREGA	C/o path from Primary School to upper Road side vill Amned(1303002075/RC/8000199945)	283	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	870	31407.00
					sand	460	21896.00
					Stone	520	16328.00
23	Own Sources & GIA Planning	C/o Path & R/Wall near Sukh Dev House Amned	234	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	460	20700.00
					sand	360	17280.00
					Stone	120	4536.00

29

सचिव
ग्राम पंचायत TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

24	Sources & GIA Pla	M/o Path & R/Wall near Braham Dass House Amned	239	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	300	13500.00
					sand	250	12000.00
25	Sources & GIA Pla	M/o Path & R/Wall near Suresh Kumar House Balu	237	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	AGG.	300	13500.00
					sand	250	12000.00
26	Own Sources & GIA Planning	C/o Path & R/Wall Chuni Lal House towards Dharnashi	49	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	780	29562.00
					sand	500	21450.00
					Stone	180	5940.00
27	Own Sources & GIA Planning	M/o Path & R/Wall near Vinod Kumar House Diot	75&87	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	460	7580.00
					sand	230	8580.00
					Stone	60	1980.00
28	Own Sources & GIA Planning	M/o Path & R/Wall near House of Ramesh Chand Diot	74&85	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	460	7580.00
					sand	230	8580.00
					Stone	60	1980.00
29	Own Sources & GIA Planning	M/o Path & R/Wall near House of Tilak Raj Vill Diot	73&86	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	460	7580.00
					sand	230	8580.00
					Stone	60	1980.00
30	Own Sources & GIA Planning	C/o Puli Vill Diot	68	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	AGG.	370	14023.00
					sand	210	9009.00
					Stone	100	3300.00
			Total				**778639.31**

Sd/-
सचिव
ग्राम पंचायत TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ताल, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	Agg,Sand,Boulder	840516.00	16810.32
2		Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	Agg,Sand,Boulder	979372.00	19587.44
Total				**1819888.00**	**36397.76**

सचिव
ग्राम पंचायत TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

31

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ताल, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

पत्थर की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा वर्ग मीटर	कुल भुगतान (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids) (₹)
1	MNREGA	C/o Path & R/wall Prittam Chand House to Kewal Krishan House Vill Amned	256	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	Boulder	240	9072	12.5	1134.00
2	MNREGA	C/O LINK ROAD LAL CHAND DHIMAN KA GHAR SA FROM PATTA NALA VILL AMNED(1303002075/RC/800	235	Ravinder Kumar S/o Roshan vill amned po bharthian, hamirpur	Boulder	400	15120	12.5	1890.00
3	MNREGA	C/o Ambulance] Road Peer Baba towards Cow Shed Yashpal Singh Vill Diot	101	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	Boulder	800	25120	12.5	3140.00
4	MNREGA	C/o path from Primary School to upper Road side vill Amned	283	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	Boulder	520	16328	12.5	2041.00
5	MNREGA	C/o Path & R/Wall near Sukh Dev House Amned	234	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	Boulder	120	4536	12.5	567.00
6	MNREGA	C/o Path & R/Wall Chuni Lal House towards Dharnashi	49	Vipan Kumar, vill tikar po kharwar, Hamirpur	Boulder	180	5940	12.5	742.50
		कुल योग					76116.00	12.5	9514.50

सचिव
ग्राम पंचायत..........TAL
विकास खण्ड भोरंज
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

Reprint of [illegible]

5, 14, 16, 20